न्यायालय तहसीलदार रतनगढ

सरकार V/S उदनाथ पुत्र चुननाथ सिद्ध बालरामपुर
मु.न. 21 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट1956
निर्णय दिनांक 11/10/17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी उपस्थित । प्रश्नगत प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बीनादेसर ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम बालरामपुर के ख.न. 167 तादादी 5.01 बीघा किस्म जमीन गै.मु. रास्ता भूमि में से 0.08 भूमि पर अप्रार्थी उदनाथ पुत्र चुननाथ जाति सिद्ध निवासी बालरामपुर ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है ।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण एल.आर.एक्ट1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपने नोटिस का जबाब प्रस्तुत किया। जबाब संतोषप्रद नहीं है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट उचित प्रतीत होती है ।

अतःअप्रार्थी उदनाथ पुत्र चुननाथ जाति सिद्ध निवासी बालरामपुर को ग्राम बालरामपुर के खसरा नम्बर 167 तादादी 0.08 बीघा की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं बेदखल करने के आदेश दिये जाते है । ग्राम बालरामपुर के शरह पड़ता लगान 20.50 का 50 गुणा 5=00 रूपये दण्ड स्वरूप कायम किया जाता है । टी.आर.ए. के रजिस्टर में अंकित किया जाकर भू.अ. निरीक्षक गोलसर व पटवारी हल्का बीनादेसर को बेदखली व तावान वसूली हेतु आदेश दिया जाता है, पत्रावली निर्णयशुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

तहसीलदार रतनगढ